

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर
कार्यालय आदेश

नौ शासन उपसचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप 5) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 49(2) शिक्षा 5/05 दिनांक 23/07/2010 में निम्नांकित गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त शुल्क राशि 15000/- अक्षर पद्धति द्वारा कम्प्यूटर में 2010-11 से कक्षा 6 के साथ-साथ कक्षा 7 व 8 प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	संस्था का नाम व पता	मान्यता स्तर	अतिरिक्त मान्यता शुल्क डी डी संख्या / दिनांक	राशि
1	आर्यन पब्लिक स्कूल, कुशलपुरा (बांसा) गोविन्दगढ़	हिन्दी	503398/29.7.10	15000
2	महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल, रायसिंह का बास (थोबलाई) वाया गोविन्दगढ़,	हिन्दी	323543/26.7.10	15000
3	इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, 270, शान्ति नगर-बी गुर्जर की थडी, न्यू सांगानेर रोड जयपुर	अंग्रेजी	399856/26.7.10	15000
4	सनराईज पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, प्रताप नगर-1, केशव विद्यापीठ रोड, जयसिंह पुरा खोर, जयपुर	हिन्दी	964510/30.7.10	15000
5	ओक्सफोर्ड इन्टरनेशनल एकेडेमी 6,7,8 शंकर विहार महाराणा प्रताप मार्ग, नीयर करणी पैलेस, वैशाली नगर	अंग्रेजी	902186/23.7.10	15000
6	अशोक विद्यापीठ, सुन्दरपुरा रोड, ग्राम कौसली, तह. कोटपुतली	हिन्दी	310659/27.7.10	15000
7	सरस्वती विद्या मंदिर, ग्राम बावडी गोपीनाथ गोविन्दगढ़, जयपुर	हिन्दी	301259/28.7.10	15000
8	नुपुर नेशनल पब्लिक स्कूल पटेल कॉलोनी, पूरावाला (मैड) तह. विराट नगर, जयपुर	हिन्दी	804171/26.7.10	15000
9	महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल, पक्का बंधा, सामोद रोड, चौमूं, जयपुर	हिन्दी	275376/30.7.10	15000
10	परिष्कार एकेडमिक पावटा, पं. स. विराटनगर, तह. कोटपुतली, जयपुर	अंग्रेजी	036161/27.7.10	15000

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

क्रमांक जिशिअ / जय / प्राशि / सा-3 / फा- 6 / मान्यता / 10-11 / 186

दिनांक 2-8-10

प्रतिनिधि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. शासन उपसचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
2. निदेशक महोदय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. शिक्षा उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर सभाग, जयपुर।
4. संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
5. सचिव, **ओक्सफोर्ड इन्टरनेशनल एकेडेमी**
6. रक्षित पत्रावली।

Secretary
Oxford International Academy
Plot No. 6, 7, 8, Sankar Vihar
Maharaja Pratap Marg, Near Karni Park
Vaisali Nagar, JAIPUR

PRINCIPAL

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग के पत्र क्रमांक प.9(2)/शिक्षा 5/05 दिनांक 03.03.2010, एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक प्रार/शैक्षिक/सी/19626/09 दिनांक 04.03.2010 के अनुपालना में ओक्सफोर्ड इन्टरनेशनल एकेडमी 678 शंकर विहार महाराणा प्रताप मैदान वैशाली नगर जयपुर को (हिन्दी माध्यम/अंग्रेजी माध्यम) प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर राज्य सरकार द्वारा वर्णित क्र.स. 1 से 5 तक में निर्देशित शर्तों का पालना करने बाबत प्रस्तुत शपथ-पत्र (अण्डर टेकिंग) एवं समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर संस्था का आवेदन पत्र एवं निरीक्षण अधिकारी की अभिशप्ता के आधार पर निम्न शर्तों पर स्वीकार किया जाता है:-

1. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था के नियम-1993 के परिशिष्ट-2 में यथा निर्देशित निबन्धकों तथा शर्तों की पूर्ति करने बाबत प्रस्तुत शपथ-पत्र के अनुसार सभी शर्तें पूर्ति करती है।
2. संस्था द्वारा राज्य सरकार/आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं जिला एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-2 उनके द्वारा मांगी जाने वाली प्रत्येक सूचना समय पर प्रेषित की जावे।
3. संस्था के विद्यार्थी किसी अन्य गैर सरकारी संस्था अथवा सरकारी विद्यालय में प्रवेश पा सकेंगे, किन्तु संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
4. संस्था को प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर में सत्र 2010-11 से क्रमोन्नत की जावेगी, क्रमोन्नत प्रथम सत्र में कक्षा-6 में, सत्र 2011-12 में कक्षा-7 में, एवं सत्र 2012-13 में कक्षा-8 प्रारम्भ की जावेगी।
5. कक्षानुसार शत प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक मानदण्डानुसार किये जावेगें।
6. भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रति वर्ष सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावेगा।
7. दिनांक 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक वर्ष नामांकन एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय-व्यय विवरण स्थानीय कार्यालय की साखिबकी शाखा में प्रस्तुत करेगें।
8. कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भत्तों आदि की सुविधा दी जावे।
9. शिक्षा से वंचित परिक्षेत्र के बच्चों को आपकी शाला से अनिवार्य रूप से जोड़कर सूची इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगें।
10. शपथ पत्र वर्णित तथ्यों की असत्यता पाई जाने पर उक्त जारी प्रमाण-पत्र/आदेश निरस्त किया जा सकेगा और संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
11. माननीय न्यायालय के पूर्वानुमति के शिक्षा सत्र 2010-11 में शुल्क वृद्धि नहीं करेगी, जो पूर्व में लिया जा रहा था, वही शुल्क लिया जावेगा। यदि कोई शुल्क बढ़ा कर लिया जावेगा, जो माननीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध होगा। उक्त आदेशों की पालना में किसी भी प्रकार का शिथिलता बरती जाने की स्थिति में इसे गंभीरता से लिया जायेगा।
12. अग्निशमन संयंत्रों की स्थापना कर कार्यालय को आवश्यक रूप से अवगत करावे।
13. शिक्षा अधिकार नियम 2010 के प्रावधानानुसार छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।
14.
15.

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।

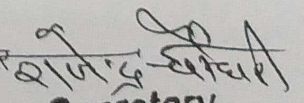
क्रमांक:जिशिअ/जय/प्राशि/सा-3/फा-6

/मान्यता/10-11/4

दिनांक 31.3.10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. शासन उपसचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
2. निदेशक महोदय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. शिक्षा उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर।
4. संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
5. सचिव, ओक्सफोर्ड इन्टरनेशनल एकेडमी 678 शंकर विहार महाराणा प्रताप मैदान वैशाली नगर जयपुर रक्षित पत्रावली।


Secretary
Oxford International Academy
Plot No. 6, 7, 8, Sankar Vihar
Near Karni Palace
Vishali Nagar, JAIPUR